संख्या-855/2026/855/22-2-2025-17(259)/2024

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ,दिनांक: 30 जून, 2026

विषय:- जिला कारागार, गाजियाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुरेन्द्र कोली पुत्र श्री शंकर राम कोली, निवासी जनपद-अल्मोडा(उत्तरांचल), वर्तमान जनपद-गौतमबुद्धनगर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-9778/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-13.02.2025) दिनांक-25-02-2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, गाजियाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुरेन्द्र कोली पुत्र श्री शंकर राम कोली, जो मंगरूखल, थाना-जौलीखल, जनपद-अल्मोडा(उत्तरांचल), वर्तमान पता-डी-5, सेक्ट-31 नोएडा, जनपद-गौतमबुद्धनगर का निवासी है। दिनांक 08.02.2005 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर रिम्पा हलधर का अपहरण कर बलात्कार करने का प्रयत्न किया एवं उसकी हत्या करके उसके शरीर के विभिन्न अंगों को पालिथीन के पैकेटों में बन्द कर मकान के पीछे गैलरी में डाल दिया गया तथा रिम्पा के हाथ व सीने के माँस को काटकर पकाकर खाया गया तथा उसने बहुत से बच्चों व महिलाओं की हत्या की है और उनके साथ बलात्कार करने की कोशिश की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं0-611/2007 में भा०द०वि० की धारा-302, 364, 376, 511, 201 में मा० अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निरोध, उ०प्र०, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 13.02.2009 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 28.01.2015 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुये मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 28.10.2014 द्वारा बंदी की अपील को निर्णीत करते हुये आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 04.08.2024 तक अपरिहार 17 वर्ष, 01 माह, 19 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 02 माह, 01 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, अपर पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि० एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, सम्बंधित क्षेत्र में आज भी भय व्याप्त होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने, बंदी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में दिनांक 08.02.2005 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर रिम्पा हलधर का अपहरण कर बलात्कार करने का प्रयत्न किया एवं उसकी हत्या करके उसके शरीर के विभिन्न अंगों को पालिथीन के पैकेटों में बन्द कर मकान के पीछे गैलरी में डाल दिया गया तथा रिम्पा के हाथ व सीने के मॉस को काटकर पकाकर खाया गया तथा उसने बहुत से बच्चों व महिलाओं की हत्या की है और उनके साथ बलात्कार करने की कोशिश की गयी। जिला प्रोबेशन अधिकारी, अपर पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, अपर पुलिस उपायुक्त तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सुरेन्द्र कोली पुत्र श्री शंकर राम कोली को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, गाजियाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुरेन्द्र कोली (बन्दी संख्या-522/2009) पुत्र श्री शंकर राम कोली, निवासी जनपद-अल्मोडा(उत्तरांचल), वर्तमान जनपद-गौतमबुद्धनगर को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश मिश्र

संयुक्त सचिव।

संख्या-855/2026/855(1)/22-2-2025 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कमलेश कुमार

उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-855/2026/855/22-2-2025-17(259)/2024

दिनांक: 30 जून, 2026 का संलग्नक

जिला कारागार, गाजियाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुरेन्द्र कोली पुत्र श्री शंकर राम कोली, जो मंगरूखल, थाना-जौलीखल, जनपद-अल्मोडा(उत्तरांचल), वर्तमान पता-डी-5, सेक्ट-31 नोएडा, जनपद-गौतमबुद्धनगर का निवासी है। दिनांक 08.02.2005 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर रिम्पा हलधर का अपहरण कर बलात्कार करने का प्रयत्न किया एवं उसकी हत्या करके उसके शरीर के विभिन्न अंगों को पालिथीन के पैकेटों में बन्द कर मकान के पीछे गैलरी में डाल दिया गया तथा रिम्पा के हाथ व सीने के माँस को काटकर पकाकर खाया गया तथा उसने बहुत से बच्चों व महिलाओं की हत्या की है और उनके साथ बलात्कार करने की कोशिश की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं0-611/2007 में भा०द०वि० की धारा-302, 364, 376, 511, 201 में मा० अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निरोध, उ०प्र०, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 13.02.2009 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 28.01.2015 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुये मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 28.10.2014 द्वारा बंदी की अपील को निर्णीत करते हुये आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 04.08.2024 तक अपरिहार 17 वर्ष, 01 माह, 19 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 02 माह, 01 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, अपर पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि० एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, सम्बंधित क्षेत्र में आज भी भय व्याप्त होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने, बंदी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में दिनांक 08.02.2005 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर रिम्पा हलधर का अपहरण कर बलात्कार करने का प्रयत्न किया एवं उसकी हत्या करके उसके शरीर के विभिन्न अंगों को पालिथीन के पैकेटों में बन्द कर मकान के पीछे गैलरी में डाल दिया गया तथा रिम्पा के हाथ व सीने के मॉस को काटकर पकाकर खाया गया तथा उसने बहुत से बच्चों व महिलाओं की हत्या की है और उनके साथ बलात्कार करने की कोशिश की गयी। जिला प्रोबेशन अधिकारी, अपर पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, अपर पुलिस उपायुक्त तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सुरेन्द्र कोली पुत्र श्री शंकर राम कोली को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।